मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक के साथ दिनांक 21/01/2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--००--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह-आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक के साथ दिनांक 21-01-2026 को सायं 05:30 बजे से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी तथा समस्त आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक उपस्थित रहे।

बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत भुगतान सत्यापन की स्थिति:-

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय अंतर्गत समस्त संभागों में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत भुगतान सत्यापन की समीक्षा की गई। भोपाल संभाग की समीक्षा में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति पचौर के सर्वाधिक 70 भुगतान सत्यापन लंबित हैं। इसके अतिरिक्त ब्यावरा, सुठालिया, भैंसदेही, पचौर-(ठदनखेड़ी-उपमंडी), बैरसिया एवं भैरूंदा में भुगतान सत्यापन लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र सत्यापित कराने के संभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए।

सागर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति हटा में लंबित भुगतान सत्यापन में कलेक्टर जिला दमोह के प्रतिवेदन पर शासन स्तर से निर्णय उपरांत ही कार्यवाही हो सकेगी। अतः संभाग की शेष मंडियों खुरई, रहली, बामोरा एवं टीकमगढ़ मंडी के लंबित भुगतान सत्यापन का शीघ्र निराकरण करने के एवं संभाग की समस्त मंडियों में शत-प्रतिशत नियमन व्यवस्था लागू कराने के संभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए। सागर संभाग की कृषि उपज मंडी समिति देवरी में 29 जनवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है। सागर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कृषकों का भुगतान लंबित न हो। अगर भुगतान लंबित हो तो उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए।

उज्जैन संभाग की समीक्षा उपरांत बड़नगर, आलोट, जावरा, देवास, नलखेड़ा, रतलाम, लौहार्दा, मक्सी, पिपल्या एवं अन्य मंडियों में लंबित भुगतान सत्यापन का शीघ्र निराकरण कराने के संभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए।

इंदौर संभाग की समीक्षा उपरांत जोबट, पंधाना, धार, सांवेर मंडी के लंबित भुगतान सत्यापन का शीघ्र निराकरण कराने के संभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए।

ग्वालियर संभाग की समीक्षा उपरांत कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी, कैलारस, बीनागंज, मुंगावली के लंबित भुगतान सत्यापन का शीघ्र निराकरण कराने के संभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए। संभाग की कृषि उपज मंडी समिति बैराड़ में अनियमितता प्रकाश में आने पर जांच

करने के निर्देश दिए गए थे, अतः संभागीय अधिकारी को जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा उपरांत समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 29 जनवरी को भावांतर भुगतान योजना कृषकों को देय भुगतान कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः नियत समयावधि में लंबित भुगतान सत्यापन पूर्ण करावें।

(2) लंबित विधानसभा आश्वासन प्रकरणों की समीक्षा:-

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय अंतर्गत लंबित विधानसभा आश्वासनों की प्रकरण वार समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण आंचलिक कार्यालय स्तर पर लंबित होने की स्थिति में अविलंब निराकरण कर मुख्यालय प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर पर निर्देशित किया गया कि लंबित आश्वासन प्रकरणों में समन्वय स्थापित करें एवं समस्त लंबित प्रकरणों को अद्यतन करें, जिसकी पुनः 01 दिवस उपरांत समीक्षा की जावेगी।

(3) सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा:-

सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज भावांतर भुगतान योजना से संबंधित एवं अन्य दर्ज शिकायतों की संभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण वार समीक्षा करें एवं दर्ज प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करावें।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- एन.आई.सी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नियत समयावधि उपरांत नकद भुगतान किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। अतः भावांतर भुगतान योजना शाखा को निर्देशित किया गया कि अनियमित भुगतान वाले प्रकरणों के भुगतान लंबित रखे जाने वाले समस्त प्रकरण प्रस्तुत करें। उक्त प्रकरणों का निराकरण जांच उपरांत किया जावेगा।
- माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा के पालन में राज्य शासन द्वारा सरसों पर भावांतर भुगतान योजना लागू करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अतः संबंधित संभागीय अधिकारी ग्वालियर, सागर, रीवा एवं जबलपुर संभागों में सरसों उपज के लिए भावांतर भुगतान योजना हेतु कार्य योजना बनाकर दिनांक 31 जनवरी 2026 तक मुख्यालय प्रेषित करें।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समीक्षा बैठक/जनवरी/2026/2379 भोपाल,दिनांक-28/01/2026

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. अपर संचालक/संयुक्त संचालक(समस्त)/अधीक्षण यंत्री(समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
5. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
7 भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल